

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15]
No. 15]

नई दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2012, शनिवार/आषाढ़ 24—आषाढ़ 30, 1934
NEW DELHI, JULY 15—JULY 21, 2012, SATURDAY/ASADHA 24—ASADHA 30, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(रक्षा उत्पादन विभाग)
(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2012

का.नि.आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2007, और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' तकनीकी पद, भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग (क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय) में सहायक इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) और कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' पद [सहायक इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) और कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन)] भर्ती नियम, 2012 है।
(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

का.नि.आ. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (गैर तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2001, को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-I पद से है, और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, आशुलिपिक पद भर्ती नियम, 2000 को जहां, तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-II पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (वैयक्तिक सहायक) पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे। जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **विधिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा विधिल कर सकेगी।

6. **व्याप्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. वैयक्तिक सहायक (भूतपूर्व आशुलिपिक श्रेणी-I और आशुलिपिक श्रेणी-II के पद)	*148 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, रु. 9,300—34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति का आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसा आशुलिपिक जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है।

दृष्टाव्य 1.—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर आशुलिपिक (भूतपूर्व आशुलिपिक श्रेणी .1) का पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हक सेवा पांच वर्ष जारी रहेगी।

दृष्टाव्य 2.—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहाँ ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

दृष्टाव्य 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :**केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी :**

(क)(i) जो वर्तमान काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1; में वेतनमान 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2400 रु. में दस वर्ष की सेवा की है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हो और कौशल परीक्षण सन्निधम को पूरा करते हों :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान या विश्वविद्यालय से 10+2 या इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) कौशल परीक्षण सन्निधम :

(क) श्रुतलेख : 100 शब्द प्रति मिनट की दर पर दस मिनट

(ख) प्रतिलेखन : कंप्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी), 55 मिनट (हिन्दी)।

(11)

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार कं उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां पूर्व-पुनरीक्षित एक से अधिक वेतनमानों का एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड या वेतनमान में विलयन हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) के लिए, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य तत्स्थानी ग्रेड है, विस्तारित होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संकेत में विचार करने वाले) के नियुक्ति के लिए विचार करने की संरचना

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1. अपर महानिदेशक, क्वालिटी आश्वासन (प्रशासन)
2. प्रशासन निदेशालय से संयुक्त निदेशक
3. उपनिदेशक (प्रशासन-10)

—अध्यक्ष
—सदस्य
—सदस्य

[फा. सं. ए/86320/आरआर/पीए/डीजीक्यूए/प्रशा-10/1310/डी(क्यूए)/2012]
सुभाष चंद, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2012

S.R.O. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General of Quality Assurance Group 'B' (Non-Technical) Posts Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-I, and the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance (Stenographers) Posts Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Personal Assistant in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' (Personal Assistant) Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Personnel Assistant [erstwhile Posts of Stenographer Grade-I and Stenographer Grade-II]	14 (2012) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Not applicable		Not applicable		Two years for promotees	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made			
(10)		(11)			
50% by promotion failing which by deputation; 50% by deputation		Promotion : Stenographer with ten years regular service in the pay scale of Rs. 5200-20200 with the grade pay of Rs. 2400 in pay band-I, rendered after attestation thereto on regular basis.			

(11)

Note 1 : The eligibility service for promotion to the post of Personal Assistant shall continue to be five years for persons holding the feeder post of Stenographer (erstwhile Stenographer Grade-III) on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation :

Officers of the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the present cadre or department; or

(ii) With ten years service in scale of pay of Rs 5200-20200 with the grade pay of Rs. 2400 in Pay band-1 or equivalent after appointment thereto on regular basis;

and

(b) possessing following educational qualifications and skill test norms :-

(i) 10+2 or Intermediate or 12th class pass from a recognized Board or Institution or University.

(ii) Skill Test Norms :-

(a) Dictation : 10 minutes @ 100 words per minute (Hindi or English)

(b) Transcription: 40 minutes (English), 55 minutes (Hindi) on computers.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)

(Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of the receipt of application.)

(11)

Note : For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Additional Director General Quality Assurance (Administration) —Chairman
2. Joint Director from Administration Directorate —Member
3. Deputy Director (Administration-10) —Member

[F. No. A/86320/RR/PA/DGQA/Adm-10/1310/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

का.नि.आ. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, महानिदेशक क्वालिटी आश्वासन, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय पद (ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II, फोटोग्राफर श्रेणी-I, और फोटोग्राफर श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2001, को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II से है और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, समूह 'ख', अनुसचिवीय पद (मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर समूह 1) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' पद (मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,